07/04/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई उभय पक्ष उपरान्त दावा स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से शामिल पत्रावल किया गया डिक्री जारी हो नंबर से क्रम हो

निर्णय सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/366

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

पीठासीन अधिकारी: संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 182/2024 (GCMS:-2024/366) **दायर दिनांक 18–06–2024**

मन्दर सिंह उर्फ सुखमन्दरसिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति जटसिख साकिन गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

----- वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ पेरोकार राज

----- प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209, आर टी ए एवं सपठित धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1– जसवीर सिंह बराड़ अभिभाषक वादी

2– पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

–:– निर्णय –:– दिनांक :– 07.04.2025

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित । बहस सुनी गई । वकील वादी ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 26 एम ओ डी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 19/3 के प0न0 16/262 मु0न0 22 के किला न0 1 ता 25/6.325 है0 नहरी में 1/3 हिस्सा यानि 2.108 है0 नहरी खातेदारी भूमि एवं चक 30 एम ओ डी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 72/66 के प0न0 19/270 मु0न0 45 के किला न0 1 ता 4/ 1. 012 है0 नहरी, 5/1 में 0.215 है0 नहरी , 5/2 में 0.038 है0 गै0मु0 रास्ता, 6/1 में 0.215 है0 नहरी, 6/2 में 0.038 है0 गै0मु0 रास्ता, 17 ता 24/2.024 है0 नहरी, 25/2 में 0.152 है0 नहरी, 25/3 में 0.038 है0 गै0मु0 रास्ता = 6.262 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि इस प्रकार दोनो चको में कुल 8.370 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । उक्त भूमि वादी को विरास्तन प्राप्त हुई है । विरास्तन इन्तकाल में वादी का नाम सहवन से मन्दरसिंह पुत्र श्री अर्जनसिंह दर्ज हो चुका है। जो वादी का घरेलू नाम होने के कारण एवं लिपिकिय भूल है। जबकि वादी का सही नाम सुखमन्दरसिंह पुत्र श्री अर्जनसिंह है । जो वादी के सभी दस्तावैजात जैसे आधार कार्ड , अस्ला लाईसेंस , परिचय–पत्र, बैंक की पास बुक व सरपंच ग्राम पंचायत गुरूसर मोडिया द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र में दर्ज है जिससे पूर्णतया साबित है कि वादी का सही नाम सुखमन्दरसिंह पुत्र श्री अर्जनसिंह है । वादी अपने नाम की घोषणा करवाने का कानूनन हकदार है । इसलिए वादी अपने उक्त जैरवाद भूमि में अपना नाम मन्दरसिंह पुत्र श्री अर्जनसिंह के स्थान पर मन्दरसिंह उर्फ सुखमन्दर सिंह पुत्र श्री अर्जनसिंह घोषित करने का निवेदन किया ।

प्रतिवादी पेरोकार राज ने जबाब दावा पेश कर वादी के नाम की घोषणा किये जाने पर कोई आपत्ति नही की ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:34 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान के तर्क सुने जाने के उपरान्त तर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया व मनन किया गया वादी के नाम जमाबन्दी में मन्दरसिंह पुत्र अर्जनसिंह दर्ज है । जबकि अन्य दस्तावैजो आधार कार्ड , अस्ला लाईसेंस , परिचय–पत्र, बैंक की पास बुक व सरपंच ग्राम पांयत गुरूसर मोडिया द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र में वादी का नाम सुखमन्दरसिंह पुत्र अर्जनसिंह दर्ज है । जबकि जमाबन्दी और अन्य दस्तावैजो में वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को सहायता मिलने से वंचित रहना पड़ता है । इसलिए वादी का नाम संशोधित किया जाना उचित समझते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि वाके चक 26 एम ओ डी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 19/3 के प0न0 16/262 मु0न0 22 के किला न0 1 ता 25/6.325 है0 नहरी में 1/3 हिस्सा यानि 2.108 है0 नहरी खातेदारी भूमि एवं चक 30 एम ओ डी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 72/66 के प0न0 19/270 मु0न0 45 के किला न0 1 ता 4/1.012 है0 नहरी, 5/1 में 0.215 है0 नहरी , 5/2 में 0.038 है0 गै0मु0 रास्ता, 6/1 में 0.215 है0 नहरी, 6/2 में 0.038 है0 गै0मु0 रास्ता, 17 ता 24/2.024 है0 नहरी, 25/2 में 0.152 है0 नहरी, 25/3 में 0.038 है0 गै0मु0 रास्ता = 6.262 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि इस प्रकार दोनो चको में कुल 8.370 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि में वादी का नाम मन्दरसिंह पुत्र अर्जनसिंह के स्थान पर मन्दरसिंह उर्फ सुखमन्दरसिंह पुत्र अर्जनसिंह राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/04/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:34 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत–सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री संदीप कुमार आर. ए. एस.

अनवान :

मन्दर सिंह उर्फ सुखमन्दरसिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति जटविख साकिन गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 ----- वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ पेरोकार राज

----- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. एवं सपठित धारा 136 एल आर एक्ट मुकदमा नं0 182 वर्ष 2024 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक **जसवीर सिंह बराड़ वादी** राज पैरौकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

दावा स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

चक 26 एम ओ डी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 19/3 के प0न0 16/262 मु0न0 22 के किला न0 1 ता 25/6.325 है0 नहरी में 1/3 हिस्सा यानि 2.108 है0 नहरी खातेदारी भूमि एवं चक 30 एम ओ डी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 72/66 के प0न0 19/270 मु0न0 45 के किला न0 1 ता 4/1.012 है0 नहरी, 5/1 में 0.215 है0 नहरी , 5/2 में 0.038 है0 गै0मु0 रास्ता, 6/1 में 0.215 है0 नहरी, 6/2 में 0.038 है0 गै0मु0 रास्ता, 17 ता 24/2.024 है0 नहरी, 25/2 में 0.152 है0 नहरी, 25/3 में 0.038 है0 गै0मु0 रास्ता = 6.262 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि इस प्रकार दोनो चको में कुल 8.370 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि में वादी का नाम मन्दरसिंह पुत्र अर्जनसिंह के स्थान पर मन्दरसिंह उर्फ सुखमन्दरसिंह पुत्र अर्जनसिंह राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है ।

नोज ...×.....मुबलिग ...×.....बाबत .....×.....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...×.....फसदो की पालना.....×.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07/04/25 को जारी की गई ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:34 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)